V/169512/2023

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2– उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
3– उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4– संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 20 नवम्बर, 2023।

विषयः मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आवास विभाग के शासनादेश संख्या–34/V-2/21–10(आ0)/2020, दिनांकः 07.01.2022 के द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–2(3) में मानचित्र स्वीकृति हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने अनापत्ति की समय सीमा निर्धारित की गयी है। एकल आवासीय प्रकरणों में 12 दिवसों में तथा गैर आवासीय प्रकरणों हेतु 25 दिवसों में संबंधित विभागों द्वारा प्राधिकरणों को अनापत्ति उपलब्ध करायी जानी आवश्यक की गयी है।

2– सेवा का अधिकार के अन्तर्गत एकल आवासीय मानचित्रों का निस्तारण 15 दिनों में एवं गैर आवासीय मानचित्रों का निस्तारण 30 दिनों में किया जाना निर्धारित किया गया है। विभागीय अनापत्ति हेतु निर्धारित समय–सीमा के उपरांत प्राधिकरणों के पास मानचित्र स्वीकृति हेतु एकल आवासीय मानचित्रों के संबंध में मात्र 03 दिन एवं गैर आवासीय मानचित्रों के संबंध में 05 दिन का समय ही शेष रहता है। मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण स्तर पर प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु यह समय–सीमा बहुत कम है।

3– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के उक्त शासनादेश संख्या–34/V-2/21–10(आ0)/2020, दिनांकः 07.01.2022 के बिन्दु संख्या–2(3) में आंशिक संशोधन करते हुए एकल आवासीय प्रकरणों में 07 दिवसों में तथा गैर आवासीय प्रकरणों में 15 दिवसों में संबंधित विभागों द्वारा प्राधिकरणों को अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– उक्त के साथ ही मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि प्राधिकरणों द्वारा

निर्धारित समय में मानचित्र स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। सम्बधित कार्मिक अथवा अभियन्ता द्वारा विगत माह से लम्बित एवं माह में प्राप्त मानचित्र आवेदनों के योग का न्यूनतम 70 प्रतिशत मानचित्रों का निस्तारण माह में किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त में असफल रहने पर सम्बन्धित कार्मिक अथवा अभियन्ता का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित प्राधिकरण के सचिव एवं उपाध्यक्ष द्वारा इस पर संज्ञान लेने के उपरान्त ही सम्बधित कार्मिक अथवा अभियन्ता का वेतन आहरित किया जायेगा। वेतन आहरण को रोके जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही का उत्तरदायित्व सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का होगा। यदि कार्मिक द्वारा जानबूझकर मानचित्र स्वीकृति का निस्तारण नहीं किया गया है या लापरवाही बरती गयी है, तो संबन्धित कार्मिक अथवा अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यह भी उचित होगा कि संबंन्धित कार्मिक अथवा अभियन्ता द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये निस्तारण का न्यूनतम 60 प्रतिशत समयान्तर्गत होना अनिवार्य है। यदि 60 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5— प्राधिकरण स्तर पर लम्बित 30 कार्य दिवसों में यदि एकल आवासीय मानचित्र का निस्तारण नहीं किया जाता है, तो एकल आवासीय मानचित्र डीम्ड स्वीकृत माना जायेगा एवं आवेदक स्वगणना के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित विभागों की वांछित अनापत्ति डीम्ड अनापत्ति के प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए, सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करते हुए, भवन निर्माण प्रारम्भ कर सकता है, किन्तु यह भी प्रतिबन्ध होगा कि स्थल पर किये गये निर्माण तत्समय प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम के अनुसार हों। आवेदक को निर्माण प्रारम्भ करने के न्यूनतम 03 दिवस पूर्व, इसकी सूचना संबंधित प्राधिकरण को ऑनलाईन माध्यम से की जानी अनिवार्य होगी।

6— संबन्धित अभियन्ताओं/कार्मिकों के कार्यकुशलता का त्रैमासिक परीक्षण किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक/अभियन्ता के लापरवाही के कारण डीम्ड स्वीकृत अधिक हो रही हैं, तो सम्बन्धित के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जाय। डीम्ड स्वीकृति का उत्तरदायित्व भी अभियन्ता/कार्मिक का रहेगा।

7— निर्धारित समयावधि अन्तर्गत यदि किसी कार्मिक द्वारा सम्बन्धित मानचित्र पत्रावली का निस्तारण नहीं किया जाता है, तो समयावधि व्यतीत होने उपरांत पत्रावली संबंधित कार्मिक के साथ–साथ उसके पर्यवेक्षक अधिकारी के लॉग इन पर भी प्रदर्शित होगी। पर्यवेक्षक अधिकारी स्वयं अधीनस्थ को निर्देशित कर, अपनी समय–सीमा अन्तर्गत अधीनस्थ से निस्तारण करवाते हुए, स्वयं की अपनी समय–सीमा के अन्तर्गत मानचित्र का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जायेगा। अधीनस्थ कार्मिक द्वारा अधिकतम 01 कार्य दिवस में उक्तानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8— प्रत्येक माह के अंत में प्रत्येक कार्मिकों के Escalation की पत्रावली का परीक्षण किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके 50 प्रतिशत से अधिक पत्रावलियाँ समय सीमा के कारण Escalate हुई हों, का वेतन आहरित तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक की सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के सचिव एवं उपाध्यक्ष सम्यक् निर्णय न ले लिया जाए। इस संबंध में वेतन आहरण न किये जाने का उत्तरदायित्व संबन्धित विकास प्राधिकरण के वित्त

169512/2023

नियंत्रक का होगा। जानबूझकर के लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाए।

9 – सभी सम्बन्धित विभाग/विकास प्राधिकरण, तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

**Signed by Atar Singh**
**Date: 17-11-2023 16:32:25**

**(अतर सिंह)**
अपर सचिव।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4 – वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5 – वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
6 – वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।